दो बच्चों की नीति

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार को हाल ही में उन दावों पर जाँच का सामना करना पड़ा, जिनमें कहा गया था कि उसने 7 जून, 2024 तक दो-बच्चों की नीति लागू कर दी है। हालाँकि, आधिकारिक बयानों के अनुसार ये रिपोर्टें झूठी हैं और ऐसी कोई नीति अभी तक लागू नहीं की गई है।

मुख्य बिंदु:

- हालाँकि इस तरह की नीति के लिये एक **प्रारूप विधेयक** राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया है, लेकिन **इसे पारित नहीं किया गया है और विधि के रूप में तैयार नहीं किया गया है**।
- **उत्तर प्रदेश विधि आयोग** ने वर्ष 2021 में जनसंख्या नियंत्रण पर प्रस्तावित विधेयक का प्रारूप राज्य सरकार के साथ साझा किया था।
- **उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक, 2021** नामक प्रारूप विधेयक के अनुसार, दो से अधिक बच्चों वाले दंपतियों को सरकारी नौकरियों, पदोन्नति या सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी।
    - असम में भी ऐसी ही नीति लागू है, जो **असम लोक सेवा (सीधी भर्ती में छोटे परिवार के मानदंड का अनुप्रयोग) नियम, 2019** के तहत दो से अधिक बच्चों वाले दंपती को सरकारी नौकरियों से वंचित करती है।

दो बच्चों की नीति

- **आवश्यकता:**
    - भारत की जनसंख्या पहले ही **125 करोड़ को पार कर चुकी है** और उम्मीद है कि अगले कुछ दशकों में **भारत विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश चीन से आगे निकल जाएगा।**
    - **राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति (2000)** होने के बावजूद भारत **विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है।**
    - इस प्रकार, भारत के प्राकृतिक संसाधन **अत्यधिक बोझ से दबे हुए हैं** तथा उनका **अत्यधिक दोहन** हो रहा है।
- **आलोचना:**
    - प्रतिबंधित बाल नीति के कारण शिक्षित युवाओं की कमी के कारण भारत की तकनीकी क्रांति में बाधा आएगी।
    - चीन (एक-बच्चा नीति के परिणामस्वरूप) के सामने आने वाली लैंगिक असंतुलन, अनिर्दिष्ट बच्चे (बिना दस्तावेज़ वाले माता-पिता के बच्चे) आदि जैसी समस्याएँ भारत को भी झेलनी पड़ सकती हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/two-child-policy-2